



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243257
CG-DL-E-27012023-243257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]
No. 416]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 430(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 37.6 से कि.मी.219.782 (नो.4, पावर हाउस कोलोनी, 3आरडी क्रास, सेलम में रोड, इय्यप्पन कोविल अपोजिट, कृष्णागिरि) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवन्यू आफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कृष्णागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 37.6 से कि.मी.219.782 (नो.4, पावर हाउस कोलोनी, 3आरडी क्रॉस, सेलम में रोड, इय्यप्पन कोविल अपोजिट, कृष्णागिरि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: कृष्णागिरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पोचमपल्ली					
गांव का नाम: नागमपट्टी					
1	62/1	निजी	ड्राय	640.0000000(वर्ग मीटर)	0.0640000
2	70/1	निजी	ड्राय	1,232.0000000(वर्ग मीटर)	0.1232000
3	71/1	निजी	ड्राय	1,482.0000000(वर्ग मीटर)	0.1482000
4	73/1	निजी	ड्राय	655.0000000(वर्ग मीटर)	0.0655000
5	74/2	निजी	ड्राय	130.0000000(वर्ग मीटर)	0.0130000
6	76/1B2	निजी	ड्राय	483.0000000(वर्ग मीटर)	0.0483000
7	76/2B	निजी	ड्राय	345.0000000(वर्ग मीटर)	0.0345000
8	80/1B	निजी	ड्राय	388.0000000(वर्ग मीटर)	0.0388000
9	80/2B	निजी	ड्राय	805.0000000(वर्ग मीटर)	0.0805000
10	81/1B	निजी	ड्राय	170.0000000(वर्ग मीटर)	0.0170000
11	81/2B	निजी	ड्राय	1,189.0000000(वर्ग मीटर)	0.1189000
12	84/1B	निजी	ड्राय	655.0000000(वर्ग मीटर)	0.0655000
कुल				8,174.0000	0.8174

[फा. सं. 1791/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 430(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km 37.6 to Km219.782 (No.4, Power House Colony, 3rd Cross, Salem Main Road, Iyyappan

Kovil opposite, Krishnagiri) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH66 in the stretch of land from Km. 37.6 to Km. 219.782 (No.4, Power House Colony, 3rd Cross, Salem Main Road, Iyyappan Kovil opposite, Krishnagiri) in the district of KRISHNAGIRI in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU		District: KRISHNAGIRI			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Pochampalli					
Village: Nagampatti					
1	62/1	Private	Dry	640.0000000(Square Meter)	0.0640000
2	70/1	Private	Dry	1,232.0000000(Square Meter)	0.1232000
3	71/1	Private	dry	1,482.0000000(Square Meter)	0.1482000
4	73/1	Private	dry	655.0000000(Square Meter)	0.0655000
5	74/2	Private	dry	130.0000000(Square Meter)	0.0130000
6	76/1B2	Private	dry	483.0000000(Square Meter)	0.0483000
7	76/2B	Private	dry	345.0000000(Square Meter)	0.0345000
8	80/1B	Private	dry	388.0000000(Square Meter)	0.0388000
9	80/2B	Private	dry	805.0000000(Square Meter)	0.0805000
10	81/1B	Private	dry	170.0000000(Square Meter)	0.0170000
11	81/2B	Private	dry	1,189.0000000(Square Meter)	0.1189000
12	84/1B	Private	dry	655.0000000(Square Meter)	0.0655000
Total				8,174.0000	0.8174

[F. No. 1791/3A]

RAJESH GUPTA, Director